

**केन्द्र एवं राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप**

1. आवेदक के परिवार के मुखिया जनाधार कार्ड :—

2. आवेदक का पूरा नाम : .....

प्राथी का फोटो

(पासपोर्ट साईज)

3. जन्म तिथि : .....

4. निवास का पूर्ण पता :.....

(क) वर्तमान.....

(ख) स्थाई.....

क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है\*  हाँ  नहीं

यदि नहीं है तो आवेदक का मूल राज्य.....जिला.....तहसील.....पता.....

5. क्या आवेदक अपने मूल राज्य राजस्थान से अन्य राज्य में विवाह /शिक्षा/ रोजगार/ अन्य प्रायोजनार्थ ..... अन्य राज्य..... के जिला.....तहसील.....पता ..... ... पर निवास कर रहा है । यदि हाँ तो आवेदन पत्र के साथ घोषणा पत्र प्रारूप M सलंगन करावे ।

6. लिंग :— पुरुष  महिला  द्रांसजैण्डर (उभयलिंगी)

7. धर्म :.....

8. जाति :.....

9. उपजाति :.....

10. उपजीविका—वर्ग.....

11. आवेदन केन्द्र अ.पि.वर्ग के लिये या राज्य पि.वर्ग के लिये किया जा रहा है  केन्द्र  राज्य

12. अ.पि.व. की केन्द्र/राज्य सूची में  
जाति का क्रम संख्यांक :.....

13. आवेदक के पिता का नाम.....

14. आवेदक के माता का नाम :.....

15. माता—पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में संरक्षक का नाम.....

16. आवेदक के पति का नाम.....

**17. माता-पिता पति की प्रारिथति**

	पिता	माता	पति
[क] संवैधानिक पद .....		.....	.....
[ख] पद नाम .....		.....	.....
[ग] सरकारी सेवायें	पिता	माता	पति
(i) सेवा (केन्द्रीय / राज्य).....			
(ii) पद नाम ..... .....		.....	.....
(iii) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो।			
(iv) पद पर नियुक्ति की तारीख			
(v) वर्ग / पद पर पदोन्नति के समय आयु (यदि लागू हो)			
[घ] अन्तरराष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र, यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियोजन			
(i) संगठन का नाम.....			
(ii) पद नाम.....			
(iii) सेवा की कालावधि.....			
(iv) (दिनांक ..... से ..... तक)			
(v) मृत्यु / स्थाई अक्षमता (यदि लागू नहीं हो तो छोड़ दीजिए)			
(vi) मृत्यु / अधिकारी की स्थायी अक्षमता की तारीख जब से वह सेवा के अयोग्य हो गया हो।			
(vii) स्थायी अक्षमता का ब्यौरा			
[ङ] पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन			
(i) संगठन का नाम			
(ii) पद का नाम			
(iii) पद पर नियुक्ति की तारीख			
[च] पैरा मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल (इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे)			

- (i) पद नाम
- (ii) वेतनमान
- [छ] व्यवसाय वर्ग (उनको छोड़कर जो मद संख्या (ख) और (ग) के अन्तर्गत आते हैं और व्यापार, कारोबार और उद्योग में लगे हुये व्यक्ति।
- (i) उप-जीविका/वृत्ति
- [ज] सम्पत्ति के स्वामी
- 

- [झ] कृषि जोते (माता, पिता और अव्यस्क बच्चों के स्वामीत्व में)
- (1) अधरिस्थिति
- (2) जोत का आकार
- (3) क – सिंचित  
ख – सिंचित भूमि का प्रकार
- 1.
- 2.
- 3.
- ग – असिंचित।
4. राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विषयों के अधीन कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में सिंचित जोत का प्रतिशत।
5. यदि जोत सिंचित/असिंचित दोनों प्रकार की है तो—राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में संपरिवर्तन फार्मूला के आधार पर कुल सिंचित जोत।
6. 4, 5 के अनुसार कानून अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत

### ग (I) बागान

(I) फसल/फल

(II) अवरिस्थिति

(III) बागान का क्षेत्र

[अ] (II) नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि और/या भवन

(I) सम्पत्ति की अवस्थिति ।

(II) सम्पत्ति का व्यौरा

(III) उपयोग जिसके लिए वह रखी गयी है ।

[ब] आय/धन

(I) समस्त स्त्रोतों से कुटुम्ब (माता—पिता व अव्यस्क बच्चे ) की वार्षिक आय (वेतनों और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुए)

(II) क्या करदाता है (हां/नहीं) ( ) यदि हां तो गत तीन वर्षों की विवरणी की प्रति दी जावे ।

(III) क्या धन कर अधिनियम के अन्तर्गत आता है (हां/नहीं) (यदि ऐसा है तो व्यौरा दीजिए)

[स] अन्य कोई अभ्युक्तियां ।

[द] मैं प्रमाणित करता हूं कि उर्पयुक्त विशिष्टीयां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कि मैं अन्य पिछड़े वर्गों की क्रीमी लियर का नहीं हूं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूं कि अर्थर्थता/नियुक्ति रद्द करणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और या नियमों के उपबन्धित की जायें ।

भवदीय,

स्थान दिनांक

अभ्यार्थी के हस्ताक्षर

(i) गवाह\* :

मैं [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ] निवासी [ ] विभाग का नाम [ ] पद [ ]  
पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि, प्रार्थी/प्रार्थीया [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]  
निवासी [ ] को भली प्रकार से जानता हूं ये अन्य पिछड़ा वर्ग की उपजाति [ ]  
का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है ।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह\* :

मैं [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ] निवासी [ ] विभाग का नाम [ ] पद [ ]  
पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि, प्रार्थी/प्रार्थीया [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]  
निवासी [ ] को भली प्रकार से जानता हूं ये अन्य पिछड़ा वर्ग की उपजाति [ ] का/की  
हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है ।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

## शपथ—पत्र

मैं .....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी.....गांव/शहर.....तहसील.....  
जिला.....राजस्थान का/की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि :  
(1) मैं राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित जाति.....का/की सदस्य हूँ।  
(2) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।  
(3) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में मार्झेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।  
(4) यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

### हस्ताक्षर शपथग्रहिता

जाति की पुष्टि हेतु प्रथमतया: राजस्व रिकार्ड यथा भूमि जमाबंदी या अन्य दस्तावेज ऑनलाइन  
उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट  
श्रीमान् मुताबिक जाँच, गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी.....के/की है। यह अन्य  
पिछड़ा वर्ग की उपजाति.....का/की है।

प्रार्थी क्रिमलियर की श्रेणी में   ('आता है' या 'नहीं आता है' अंकित करें)।

दिनांक

हस्ताक्षर

पटवारी

हल्का नं .....

तहसील .....

उपखण्ड .....

जिला .....

1. आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करना है)
2. स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र जैसे— प्रथमतया राजस्व रिकार्ड यथा भूमि की जमाबंदी एवं आवश्यक हो तो नगरपालिका/ विकास प्राधिकरण/ नगर विकास न्यास/ ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखण्ड के पट्टे जिसमें जाति अंकित हो की प्रमाणित प्रति यदि ऑन लाइन नहीं हो तो।
3. आय प्रमाण पत्र/आय कर रिटर्न सम्बन्धी दस्तावेज की प्रति यदि ऑनलाइन दस्तावेज नहीं हो तो
4. आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।
5. दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा— संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजकीय अधिकारी—कर्मचारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी /महापौर (सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हैड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता
6. पुराना जाति प्रमाण पत्र की प्रति यदि ऑनलाइन नहीं हो तो
7. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो कि अन्य राज्यों में विवाह, शिक्षा, रोजगार आदि हेतु निवास कर रहे हैं के लिये जाति प्रमाण पत्र हेतु घोषणा पत्र M सलांगन करे
8. यदि आप ट्रांसजैण्डर (उभयलिंगी) हो तो, ट्रांसजैण्डर (उभयलिंगी) होने का प्रमाण पत्र